1—<u>बीज परीक्षण हेतु नमूने लेना</u> :—

बीज प्रक्रिया के साथ—साथ या बीज प्रक्रिया पूर्ण होने के पॉच कार्य दिवसों में बीज परीक्षण हेतु नमूने बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी द्वारा संबंधित केन्द्र प्रभारी/उत्पादक के समक्ष लिये जावेंगे। लिये गये नमूने की मात्रा, थैली एवं नमूना संस्था के प्रधान कार्यालय तक कोडिंग हेतु पहुँचाने का कोई मूल्य या व्यय, बीज उत्पादक/बीज उत्पादन संस्था को देय नहीं होगा। बीज परीक्षण हेतु कोडिंग के लिये मुख्यालय भेजे जाने वाले नमूनों की मूल थैलियों में किसी प्रकार का कोई मार्क, मोनो, छापा, नंबर, निशान, लाईन, बिन्दी आदि नहीं होना चाहिये। इसमें उपयोग किया जाने वाला कपड़ा केवल सामान्य ''मार्किन'' (ग्रे—शीट) का होना चाहिये। थैली में बीज भरकर सफेद धागे से सिलाई के उपरांत नियमानुसार मुहरबंद किया जावेगा।

1.1 परिशिष्ट—टप्प् में वर्णित मात्रा के तीन एक समान नमूने बनाये जाएंगें तथा उन्हें मुहर बंद किया जावेगा तथा तीन कार्यकारी दिन के अंदर इन नमूनों को नीचे लिखे अनुसार वितरित किया जावेगा।

1.1.1 एक नमूना बीज परीक्षण प्रयोग शाला हेतु भेजे जाने के लिये उसे संस्था के मुख्यालय को भेजा जावेगा।

1.1.2 एक नमूना संबंधित कृषक/बीज उत्पादक संस्था को दिया जावेगा।

1.1.3 एक नमूना संस्था के संबंधित अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगा।

1.1.4 संबंधित सहा. बीज प्रमा. अधिकारी द्वारा बीज परीक्षण हेतु नमूने लेने के बाद उन्हें मोहरबंद करके संबंधित उत्पादक संस्था के बीज प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी को सौंप कर रजिस्टर में इसकी प्राप्ति लेंगे। उक्त नमूने 05 कार्यकारी दिवस के अन्दर संबंधित उत्पादक संस्था द्वारा कोडिंग हेतु जमा कराना अनिवार्य होगा।

1.1.5 मुख्यालय को प्राप्त नमूनों का कोडिंग किया जावेगा तथा कोडेड नमूनें परीक्षण हेतु प्रयोगशाला को भेजे जावेंगे।

1.2 बीज नमूने लेने,सील करने इत्यादि का कार्य एवं बीज परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण में परीक्षण का कार्य निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत किया जावेगा।

1.3 बीज परीक्षण परिणाम प्रधान कार्यालय में प्राप्ति के बाद डिकोडिंग उपरान्त, संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों/उत्पादक संस्थाओं को भेजें जावेंगे।

1.4 सर्विस नमूनों का परीक्षण निर्धारित शुल्क रू.150 प्रति नमूने सहित, प्रबंध संचालक की अनुमति से होगा। यह नमूने पहले मुख्यालय कोडिंग हेतु भेजे जावेंगे।

1.5 बीज उपचार :—प्रमाणीकरण के अंतर्गत कोई किस्म यदि बीज से फैलने वाली बीमारी के रोग जनकों की वाहक है और यदि ऐसा उपचार उपलब्ध है जो सही तरीके से करने से बीमारी या रोगजनक की रोकथाम कर सकता है तो संस्था ऐसे बीज का उपचार प्रमाणीकरण से पहले करवा सकती है या बीज उत्पादक संस्था के अनुरोध पर संस्था बिना बीज उपचार के भी प्रमाणीकरण कर सकती है बशर्ते :—

बीज उत्पादक संस्था लिखित रूप से यह सुनिश्चित करेगी कि बीज उपचार का अनुशंसित रसायन, उपचार संबंधी आवश्यक जानकारियों के पत्रक एवं सावधानियों के निर्देशों के साथ थैले के अंदर रख दिया है और बीज उत्पादक को बीज बौने के पूर्व बीज उपचार अनिवार्यतः किये जाने के निर्देश दिये गये। फसलवार बीज उपचार हेतु प्रयुक्त रसायनो की सूची परिशिष्ट—टप्प पर है।

2— <u>पुनः नमूना लेना तथा पुनः परीक्षण कराना।</u>

बीज लाट के बीज परीक्षण परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने पर सामान्य स्थिति में बीज परीक्षण परिणाम,संबंधित केन्द्र पर प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के भीतर, बीज उत्पादक/उत्पादक संस्था निर्धारित शुल्क सहित पुनः नमूना लेने का आवेदन दे सकेगें। पुनः नमूना लेने तथा बीज परीक्षण कराने की अनुमति संभाग के संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में निर्धारित सामान्य बीज प्रमाणीकरण मानकों के प्रावधान—ग्ग्प्ट के तहत् केवल एक बार दी जावेगी।

पुनः प्रक्रिया के कारक/कारकों को नमूना पत्रक में संबंधित नमूने लेने वाले अधिकारी द्वारा स्पष्टतः अंकित किया जावेगा।

2.1– भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के प्रावधान–ग्ग्टप्प् के तहत आधार श्रेणी में अमानक किन्तु प्रमाणित श्रेणी में मानक स्तरीय पाये गये बीज प्लाटस/लाट्स के डाउनग्रेडिंग की अनुमति संबंधित उत्पादक संस्था के अनुरोध पर संभाग के बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। संकर एवं उनके पैतृकों के लिये डाउनग्रेडिंग की अनुमति नहीं दी जावेगी।